न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

GCMS NO.-2019/00068

मिसल नम्बर–03 / 2019

1. रामभरोस आत्मज श्री केसरीलाल जाति तेली,

निवासी ग्राम मण्डाना, तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)

.......प्रार्थी

बनाम

1. मोहन वर्मा आत्मज श्री रामप्रकाश रेगर, जाति रेगर
निवासी रविदास निदण्ड, मोड हरमाडा, जयपुर (राज0)
2. हिमांशु सुनारीवाल आत्मज श्री रामचन्द्रसुनारीवाल जाति रेगर
निवासी म न 141, उषा कॉलोनी, एस.बी.एन. पब्लिक स्कूल के पास, भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)
3. मुरारीलाल मेहरा आत्मज श्री घनश्याम मेहरा, जाति मेहर
निवासी रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा

.... अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक - 11/7/25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि–

प्रार्थी की रिकोर्डेड खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 1789 / 1638 की रकबा 1.60 हैक्टर वाके ग्राम मण्डाना पटवार हल्का मण्डाना तह0 लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित है।

प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त कृषि आराजी खसरा नम्बर 1789 / 1638 की रकबा1.60 हैक्टर पर पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता मौजूद नही है, जिसके कारण प्रर्थी को अपनी भूमि को उपयोग करने, काश्त करने मे काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1789 / 1638 की रकबा 1.60 हैक्टर पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के पश्चिम में प्रतिपक्षीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1637 मे होकर 30 फुट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकता है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर पहुंचने के लिए एकमात्र आत्यान्तिक रास्ता है। और प्रार्थी को अपनी खातेदारी की उक्त आराजी पर पहुंचने के लिए उक्त रास्तें की आत्यांतिक आवश्यकता है।

प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1789 / 1638 की रकबा 1.60 हैक्टर वाके ग्राम मण्डाना पर पहुंचने के लिए अन्य कोई भी रास्ता विद्यमान नहीं है। प्रार्थी को अपनी आराजी के समुचित उपयोग उपभोग के लिए उक्त 30 फीट रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। जिसके प्रार्थी बनने वाले माप अनुसार प्रतिपक्षी को क्षतिपूर्ति राशि भी अदा करने हेतु तैयार व तत्पर है और प्रार्थी को उक्त रास्ता प्रदान किया जाकर राजस्व रिकोर्ड व राजस्व नक्शे मे अमल दारमद किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा संख्या 1789 / 1638 की रकबा 1.60 हैक्टर वाके ग्राम मण्डाना, पटवार हल्का मण्डाना तह0 लाडपुरा जिला कोटा पर पहुंचने के लिए आम सड़क एनएच संख्या 52 के पश्चिम मे खसरा संख्या 1637 मे होकर 30 फीट रास्ता प्रदान किया जावे और तहसीलदार लाडपुरा को राजस्व रिकोर्ड एवं राजस्व नक्शे मे भी उक्त रास्ते का अमल दरामद करने हेतु आदेशित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 की तलबी जर्ये रजिस्टर्ड दिनांक 15.04.2019 को की गई। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुये। इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 की उनुपस्थिति मे एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी क्रम 4 तहसीलदार लाडपुरा ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :—

ग्राम मण्डाना के खसरा संख्या 1789 / 1638 की रकबा 1.60 हैक्टर का मौका निरीक्षण व रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त खसरा संख्या वर्तमान मे तीन भागों मे विभाजित होकर 1789 / 1638 रकबा 0.55 हैक्टर, 2022 / 1638 रकबा 0.55 हैक्टर व 2023 / 1638 रकबा 0.50 हैक्टर मे दर्ज रिकोर्ड हो चुका है। प्रार्थी रामभरोस के नाम खसरा संख्या 1789 / 1638 रकबा 0.55 हैक्टर पर पहुचने के लिए वर्तमान मे मुख्य सड़क एनएच की ओर खसरा नम्बर 1665 व 1633 का रास्ते के रूप मे उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान मे हकाई जुताई हेतु ट्रेक्टर इसी रास्ते से ले जाया जाता है। खसरा नम्बर 1665 / 1 रकबा 12.31 हैक्टर व 1623 रकबा 0.07 हैक्टर गै.मु. पठार सिवायचक है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 16387 के होकर 30 फीट का रस्ता चाहा गया है। जो अन्य व्यक्तियों हिमांशु सुनारीवाल पुत्र श्री रामचन्द्र सुनारीवाल 0.3150 हैक्टर, मोहन लाल वर्मा पुत्र श्री रायप्रकाश रेगर खसरा संख्या 2086/1637 रकबा 0.3150 हैक्टर तथा मुरारीलाल मेहरा पुत्र श्री घनश्याम मेहरा खसरा संख्या 2085/1637 रकबा 0.63 हैक्टर नाम दर्ज है। तथा हिमांशु सुनारीवाल पुत्र श्री रामचन्द्र सुनारीवाल के 1637 मे रकबा 0.18 हैक्टर गै.मु. वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ व 2088/1637 रकबा 0.0950 हैक्टर बारानी द्वितीय तथा खसरा 2087/1637 रकबा 0.04 हैक्टर गै.मु. रास्ता दर्ज है। अर्थात प्रार्थी द्वारा चाहा गया खसरा नम्बर अलग–अलग मे विभाजित हो चुका है। जबकि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही रास्ते के रूप मे उपयोग किया जा रहा उक्त रास्ते को नक्श ट्रेस मे पीले रंग से दर्शाया गया है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि उक्त प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त प्रार्थी को अपने खते पर जाने के लिए अन्य कोई भी मार्ग उपलब्ध नही है। उक्त खसरा नम्बर पर लगातार अतिक्रमण होते जा रहे है। यदि प्रार्थी द्वारा वांछित भाग को रास्ते हेतु आरक्षित नही किया गया तो उक्त भाग पर भी अतिक्रमण संभावित है। तथा प्रार्थी अपने खेत पर किसी भी मार्ग से नही पहुंच पायेगा।

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन किया। तथा बहस विद्वान अभिभाषक पर गहनतापूर्वक मनन किया।

तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी द्वारा वर्तमान मे अपने खेत पर पहुचंने के लिए खसरा संख्या 1665/1 व 1633 का रास्ते के रूप मे उपयोग किया जा रहा हे। तथा प्रार्थी वर्तमान मे कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर इसी रास्ते से ले जाया करता है।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी पूर्व से ही इस मार्ग का प्रयोग रास्ते हेतु कर रहा है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा भी दौराने बहस स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी वर्तमान मे इसी मार्ग का प्रयोग करता है। तथा भविष्य की असुविधा व विवादों से बचने के लिए इस मार्ग को राजस्व रिकोर्ड मे नियमानुसार दर्ज करवाना चाहता है।

उक्त परिस्थितियों मे हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रास्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की आराजी के प्रारम्भ होने की सीमा तक खसरा संख्या 1633 व 1665/1 मे से 05 मीटर चौड मार्ग तहसीलदार लाडपुरा के प्रस्ताव अनुसार वादी को उपलब्ध करवाया जावे, तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☏ 0744.232587

लाडपुरा मार्ग के क्षेत्रफल की गणना कर नियमानुसार डी.एल.सी. दर से दुगनी राशी जमा करवाये तथा तदोपरांत राजस्व रिकोर्ड मे मार्ग का अंकन किया जावे।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा
उपखण्ड अधिकारी
कोटा